न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (यू.पी.3546)

UPHP120025092020
पंजीकरण संख्या—1498/2020
वाद संख्या—857/2020
सी.एन.आर. संख्या—90/2019
सरकार बनाम दीपक आदि
अंतर्गत धारा—323, 504 भा.दं.सं.
थाना—गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक—13.08.2026

पत्रावली आज अदालत में पेश हुई। वादी मुकदमा/पीड़ित मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी मुकदमा द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

वादी मुकदमा/पीड़ित द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि "उक्त वाद का विचारण माननीय न्यायालय में लंबित है और प्रार्थी उक्त केस का वादी व पीड़ित व्यक्ति है। प्रार्थी/वादी को ही उपहति हुई थी, क्योंकि वादी का विपक्षीगण से आपसी समझौता हो गया है और उसका विपक्षीगण से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा अथवा मनमुटाव शेष नहीं रहा है। इसलिए वह उक्त केस को आगे चलाना नहीं चाहता है। न्यायहित में उक्त केस का शमन किया जाना अति आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा सोनू पुत्र रोहताश द्वारा थाना हाजा पर लिखित तहरीर दी गयी थी, जिसे थाना हाजा द्वारा एन.सी.आर. संख्या 391/2019, धारा 323, 504 भा.दं.सं. अभियुक्त दीपक आदि के विरूद्ध थाना हाजा पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण दीपक, मनीष व सहबाग पुत्रगण वीर सिंह व राजीव पुत्र भूपेन्द्र के विरूद्ध धारा 323, 504 भा.दं.सं. में आरोप पत्र 333/2020 प्रेषित किया गया। पत्रावली वास्ते हाजिरीमें नियत है। वादी मुकदमा/पीड़ित द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. प्रस्तुत कर उभय पक्षों में समझौता हो जाने का कथन करते हुए उक्त मुकदमे को समझौते के आधार पर शमन किये जाने की याचना की गयी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 320 दं.प्र.सं., 1973 के अनुसार धारा 323, 504 भा.दं.सं. के अपराधों का शमन किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए धारा 320 दं. प्र.सं. के अंतर्गत वाद का शमन किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/वादी मुकदमा/पीड़ित द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. शमन हेतु स्वीकार किया जाता है। वाद सं0 857/2020, एन.सी.आर. संख्या—391/2019, सरकार बनाम दीपक आदि अन्तर्गत धारा— 323, 504 भा.दं.सं. थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ में अभियुक्तगण दीपक, मनीष व सहबाग पुत्रगण वीर सिंह व राजीव पुत्र भूपेन्द्र के विरूद्ध उक्त मुकदमा शमन किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक—13.08.2026

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.08.31 16:34:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court